

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आमिलेख वाद संख्या- 254/09-2020(1)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
७६/०३/२०२०	<p>वाद का प्रकार-विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्बवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074 / रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूरआ खास भूमि की कायम की गयी जमावंदियों की जॉच प्ररम्परा की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा- ११११, थाना नं- ३४, खाता संख्या- २१ प्लॉट संख्या- ७५, रक्या- ०.३४ एकड़ की भूमि जो गैरमजरूरआ खास, अनावाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमावंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्ड संख्या- १ के पृष्ठ संख्या- १३० पर जमावंदी रैयत जगादीश्वर चौरा निम्न पुपारा द्वारा के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमावंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमावंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति करित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमावंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी विहार (झारखण्ड) भूमि रुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमावंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से क्यों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अमिलेख दिनांक- २०/०३/२०२० को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">६३/२० अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

अनिकैत अवधारिता। नीरें लिख देता, छोड़ते ही वे अपनी
जीवन की जीवन की दृष्टि वहाँ से दूर हो जाती है। यह एक
समीक्षा वाली लिखा जाता ही न ही अपने जीवन की दृष्टि वहा-

न रख सकती है। इसी वाली दृष्टि द्वारा लिखा जाना चाहिए
जब जीवन की जीवन की दृष्टि द्वारा लिखा जाना चाहिए। यही दृष्टि अधिकैत
जीवन की जीवन की दृष्टि से जीवन अवधारित हो जाती है। जीवन
अवधारित हो जाने की दृष्टि द्वारा जीवन की जीवन की दृष्टि हो जाती है।

दृष्टि वाली
लिखित

06-03-2020
20.03.2020

अगिलेख उपर्याप्ति। गोटिरा लागिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमावंदी रेत/जगावंदी रेत के बंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज रापर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जगावंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमावंदी को रद करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अगिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहता को भेजे।

८३/१०
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर